



क्रमांक : - एफ 4( ) आकाशि/नि0सं0/2024/

दिनांक:-

संशोधन आदेश

विभाग के पत्रांक राजकाज रेफरेन्स नं. 6838010 दिनांक 29.04.2024, 8032847 दिनांक 13.06.2024 एवं 8220699 दिनांक 20.06.2024 द्वारा सत्र 2024-25 के लिए पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों हेतु विभागीय एन.ओ.सी. पोर्टल पर आवेदन करने हेतु तिथियों में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है:-

समय सारणी

क्रम संख्या	प्रकरण	आवेदन की तिथियां	शुल्क की राशि
1	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के निम्न प्रकरण:- अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र / सहशिक्षा परिवर्तन /महिला शिक्षा परिवर्तन /नाम परिवर्तन /स्थान परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण / नवीन विषय संकाय ध्वनातकोत्तर क्रमोन्नयन सामान्य निरीक्षण शुल्क	10 जुलाई 2024 तक	सामान्य आवेदन शुल्क
2	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के निम्न प्रकरण:- अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण.पत्र / सहशिक्षा परिवर्तन /महिला शिक्षा परिवर्तन /नाम परिवर्तन /स्थान परिवर्तन/ प्रबन्ध अन्तरण / नवीन विषय संकाय ध्वनातकोत्तर क्रमोन्नयन सामान्य निरीक्षण शुल्क	11 जुलाई 2024 से 17 जुलाई 2024 तक	सामान्य आवेदन शुल्क + रु.25000/- विलम्ब शुल्क
3	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के निम्न प्रकरण:- अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र / सामान्य निरीक्षण शुल्क	18 जुलाई 2024 से 24 जुलाई 2024 तक	सामान्य आवेदन शुल्क + रु 25000/- विलम्ब शुल्क + रु 10000/- अतिरिक्त विलम्ब शुल्क

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- प्राचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय।
- समस्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
- वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
8478184



Signature valid

Digitally signed by Pankajraj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.06.29 17:26:36 IST  
Reason: Approved